


21-12-17

वकील उग्रपक्ष द्वारा वकील
प्रतिवादी सं. 2, 3, 4 की मोरले
जवाबदायी जे. (काको) देव (नग)
—काहा/पगावली/वाले शेष को जवाब
देव, दिनांक 25-1-18 को जे. दे. /

AV/N

~~28-12-17~~
28-12-17

वादी द्वारा जरिफ वकील प्रार्थना फज फरा
करने पर पगावली फेरी में ली गई।
प्रार्थना फा में प्रार्थी द्वारा निवेदन
किया गया है कि इस प्रकरण में
दोनों पक्षों का गांव के मौजिफ व्यक्तियों
ने आपस में रजिनामा करवा दिया है।
इसलिए उक्त प्रकरण में वादी कोई
कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरुद्ध बटी करना
चाहता।
वादी/प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही
चाहने पर पगावली इसी स्टेज पर कार्रवल
दफ्तर की जाती है। पगावली जोसला
शुमार होकर पत्राव-मबाद तकमील जावता
कार्रवल दफ्तर हो।


(अनापल अहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर